न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. हनुमान पुत्र मूलचंद आयु 32 साल जाति मीना निवासी खेडला की झोपडी, तन खेडला तहसील सपोटरा जिला करौली (नाम हजफ)
2. जयसिंह पुत्र परसादी } जाति मीना निवासी खेडला की झोपडी, तन खेडला
3. रामलखन पुत्र मथुरालाल } तहसील सपोटरा जिला करौली स्वयं एवं नागरिकगण वासिन्दान ग्राम खेड़ला, तहसील सपोटरा जिला करौली —प्रार्थीयान

बनाम

1. सुरेशचंद उम्र 51 साल
2. रामस्वरूप उम्र 47 साल
3. देवीसहाय उम्र 45 साल
4. घनश्याम उम्र 33 साल

पुत्रान कजोडया जाति खाती (आदिगौड) निवासीयान ग्राम खेडला, नीमोदा स्टेशन तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)

5. ठण्डीराम पुत्र जगराम उम्र 62 साल जाति मीना निवासी प्लाट नं. 8, महावीर नगर, रणथम्भौर मार्ग, रेलवे बस्ती के पास, सवाईमाधोपुर
6. आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी करौली — विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 14(4) राज0 कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 विक्रय आदेश दिनांक 21.10.1975 बाबत भूमि खं.नं. 958 स्थित ग्राम खेडा तहसील सपोटरा पूर्व जिला सवाई माधोपुर वर्तमान जिला करौली

निर्णय

दिनांक 10.02.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खेड़ला तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नंबर 958 रकबा 30 बीघा 17 विस्वा में से 5 बीघा भूमि को उपखण्ड अधिकारी, करौली द्वारा मिसल नं. 25/75 आवंटन दिनांक 21.10.1975 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के भाई को आवंटित की गई थी जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के यह निगरानी तहत पेश की गई है।

वकील प्रार्थी ने यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 958 रकबा 30 बीघा 17 बिस्वा किस्म चारागाह स्थित ग्राम खेडला तहसील सपोटरा में है जिसके इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2030—2033 में है। जमाबंदी प्रस्तुत है। खसरा नंबर 958 किस्म चारागाह पब्लिक हित की भूमि है जो मवेशी (पशुओं) के चराव के लिये है। उक्त भूमि का किसी व्यक्ति विशेष के हक में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है ना ही किसी व्यक्ति विशेष को उक्त भूमि का आवंटन कृषि उपयोग के लिये नही किया जा सकता है। इस संबंध में प्रावधान कृषि उपयोग आवंटन नियम 1970 एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 में चारागार भूमि (गोचर) भूमि के संबंध में स्पष्ट है। उपजिला कलक्टर करौली/आवंटन अधिकारी के लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के तहत आवेदन प्राप्त करने का और आवंटन किये जाने का विधिक अधिकार नहीं है। आवंटन आदेश वहक रामअवतार पुत्र कजोडया जाति खाती निवासी ग्राम खेडला दिनांक 21.10.1975 पूर्णतयाः विधि विरूद्ध है। प्रारम्भतः शून्य है। अपास्त किये जाने योग्य है। आवंटन दिनांक 21.10.1975 वहक रामवतार पुत्र कजोडया जाति खाती ग्राम खेडला तहसील सपोटरा जिला करौली पूर्णतयाः धोखापूर्ण है। इस आवंटन में आवेदन में एवं रिपोर्ट पटवारी में एवं सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई कार्यवाही में एवं आवंटन आदेश सब डिवीजनल करौली में भूमि की किस्म भूमि छिपाया गया है क्योंकि आवेदक एवं आवंटन सलाहकार समिति सदस्य का आवंटन अधिकारी यह जानते थे कि चारागाह (गोचर) भूमि का जो पशु चराव के लिये रक्षित है का आवंटन नहीं किया जा सकता है। यह आवंटन ग्रामवासियों को धोखे में रखते हुये किया गया है जो धोखापूर्ण

होने से अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 958 का वर्णन नही किया गया है एवं रामवतार ने अपने आवंटन में आवंटन चाहे जाने वाली भूमि का विवरण नहीं दिया है। इससे स्पष्ट है कि रामवतार ने खसरा नंबर 958 का आवंटन नही चाहा है एवं पटवारी हल्का ने 958 की भूमि के संबंध में की गई रिपोर्ट में विवरण नही दिया है। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति ने किस आधार पर खसरा नंबर 958 को आवंटन किये जाने की सिफारिश की गई है, नहीं बताया है। उदघोषणा के संबंध में आवेदन में विवरण नहीं है। पटवारी हल्का ने इस भूमि को आवंटन किये जाने की रिपोर्ट नहीं की है। इस प्रकार आवंटन पूर्णतयाः धोखापूर्ण है। विधि विरूद्ध है। अपास्त किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि का नक्शाशीट में तरमीम नहीं किया हुआ है खसरा नंबर 958 रकबा 30 बीघा 17 बिस्वा की नक्शा शीट की प्रति प्रस्तुत है। चारागाह भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध है प्रारम्भतः शून्य है और इस अवैध आवंटन के आधार पर किये गये राजस्व इन्द्राज प्रारम्भहीन व शून्य है। अवैध है। ऐसे आवंटन के संबंध में न्यायालय हाजा को अपास्त करने में कोई बाधा नहीं है और ऐसे अवैध आवंटन के संबंध में चुनौती दिये जाने को भी मियाद अवधि की बाधा नहीं है। प्रार्थीगण ग्राम खेडला के नागरिक है और ग्राम खेडला में निवास करते है पशुधन रखते है। हम प्रार्थीगण को व ग्रावासीयान को अपनी मवेशी चराव का इस भूमि में विधिक अधिकार है और इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हम प्रार्थीगण को अधिकार है वैसे भी न्यायालय को स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही कर आवंटन अपास्त किये जाने का अधिकार है। आवंटी रामवतार का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थीगण नंबर 1 ता 4 उसके भाई है और रामवतार के स्वर्गवासी हो जाने के बाद दिनांक 20.11.2017 के दिवस अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 4 ने अपने हक में इन्द्राज नामांतरकरण संख्या 1778 के जरिये करा लिया है जबकि उक्त भूमि को रामवतार ने कभी काश्त नही किया है एवं अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 4 ने कभी काश्त नहीं किया है नाही उनके द्वारा काश्त करने का प्रश्न है। आवंटन के प्रथम व द्वितीय वर्ष में आवंटन बताई गई भूमि काश्त नहीं की गई है और वर्तमान में भी काश्त नहीं हो रही है और पडत दर्ज है। इस प्रकार आवंटन नियमों का पालन नहीं होने से ऐसा आवंटन 21.10.1975 वहक रामवतार अपास्त किये जाने योग्य है। उपजिला कलक्टर करौली को चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन करने का विधिक अधिकार नहीं है एवं आवंटन करने से पूर्व इस भूमि के संबंध में कोई जांच पटवारी द्वारा आवंटन अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। अवैध आवंटन के आधार पर रामवतार के स्वर्गवास होने के बाद अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 4 ने अपने हक में जमाबंदी में इन्द्राज कराकर पशुचराव की भूमि को जनहित की भूमि को अप्रार्थी नंबर 5 को बिल ऐवज 5,00,000 / –रूपयें में दिनांक 21.11.2017 के दिवस बेचानकर वयनामा पंजीयन करा दिया है। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 5 यह भली भांति जानते हैं कि उक्त भूमि चारागाह भूमि है। ग्राम वासीयान के मवेशी चराव की भूमि है। अप्रार्थीगण ने जनहित की भूमि को हस्तांतरण कराकर धनराशि हडप ली है और जनहित की भूमि हडप की है। जो अप्रार्थीगण की छलपूर्वक कार्यवाही है। इस संबंध में भी न्यायालय द्वारा इन अप्रार्थीगण के विरूद्ध सक्षम व प्रभावी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीगण को इस भूमि के वयनामा होने दिनांक 22.11.2017 के दिवस जानकारी ग्राम खेडला में ठण्डीराम द्वारा यह कहने पर कि यह भूमि मैने दिनांक 21.11.2017 को खरीद ली है तुम ग्रामवासीयान को मवेशी चराव नहीं करने दूंगा। तब हम प्रार्थीगण व ग्रामवासीयान द्वारा जानकारी तहसील सपोटरा में की गई व दिनांक 05.12.2017 के दिवस हमारे ग्राम के रामलखन मीना द्वारा पट्टा पत्रावली की प्रमाणित प्रति को आवेदन कर दिनांक 08.12.2017 के दिवस प्रमाणित प्रति प्राप्त की है दिनांक 21.10.1975 से दिनांक 20.11.2017 के दिवस तक की अवधि तथाकथित आवंटन की जानकारी नहीं होने से क्षम्य किये जाने योग्य है और प्रार्थना पत्र जानकारी दिवस दिनांक 22.11.2017 के दिवस से अंदर मियाद शुमार किया जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम

एवं शपथ पत्र प्रस्तुत है। दीगर उज्रात कानूनी एवं तथ्यात्मक वरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं.1 में अंकित विवादित खसरा नंबर 958 रकबा 30 बीघा 17 बिस्वा किस्म चरागाह जमाबंदी सम्वत् 2030 से सम्वत 2033 में दर्ज होना स्वीकार है, लेकिन उक्त भूमि राज्य सरकार के आदेश व अधिसूचना दिनांक 14.10.1975 के आधार पर किस्म चरागाह से सिवायचक में परिवर्तन की जाकर भूमिहीन व्यक्तियें को आवंटित हुई थी। प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 अस्वीकार है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आवंटन अधिनियम 1975 में ग्राम खेडला तहसील सपोटरा में पशुओं की उपलब्धता का निर्धारण करने के पश्चात् ही चरागाह से किस्म सिवायचक तब्दील की गई थी। खुलासा विशेष विवरण में अंकित है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस तरह से तहरीर किया गया है कतई अस्वीकार है क्योंकि विवादित भूमि के आवंटन किये जाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना व राज्य सरकार के प्राप्त दिशा निर्देशों की पालना में ही दिनांक 21.10.1975 को रामावतार पुत्र कजोडया खाती को आवंटन विधिक प्रक्रिया पूर्ण करके ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था, जिसमें किसी तरह की विधिक त्रुटि नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 जिस तरह से वर्णित किया है कतई अस्वीकार है क्योंकि राजस्व ग्राम खेडला में चरागाह की कुल भूमि 816 बीघा 10 बिस्वा होने के कारण किस्म परिवर्तन की जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.10.1975 को 100–150 भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन की गई थी जिसमें किसी तरह की अवैधानिकता नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 जिस तरह से तहरीर किया गया है कतई अस्वीकार है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश में आवंटित भूमि की किस्म बारानी–3 दर्ज है। आवंटन फार्म में खसरा नम्बर इसलिये दर्ज नहीं किये थे कि आवंटन योग्य काफी भूमि ग्राम खेडला में उपलब्ध थी इसलिये आवंटी रामावतार को खसरा नम्बर 958/1 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 अस्वीकार है क्योंकि वरवक्त आवंटन अभियान में ट्रेसशीट में तरमीम किये जाने का कोई औचित्य भी नहीं है क्योकि तरमीम सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में सक्षम अधिकारी एस.डी.ओ. सपोटरा द्वारा मौके पर विवाद की व मेडबंदी की समस्या होने पर की जाती है लेकिन मौके पर कभी कब्जे बाबत विवाद भी नही हुआ। प्रार्थना पत्र का मद नं. 7 कतई अस्वीकार है क्योकि आवंटन विधिक प्रक्रिया व राज्य सरकार द्वारा प्रदत विशेष अधिकारों के अन्तर्गत ही विवादित भूमि आवंटन की गई थी एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने के पश्चात् प्राथमिक स्टेज पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 8 में प्रार्थीगण का खेडला का निवासी होना स्वीकार है। प्रार्थीगण ने जरिये रंजिश के कारण विपक्षी सं. 5 द्वारा विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 21.11. 2017 को क्रय कर लिये जाने के पश्चात् दिनांक 15.12.2017 को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दुर्भावना से प्रेरित होकर पेश किया है जिससे नाममात्र की सत्यता नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 9 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 मृतक रामावतार के विधिक वारिसान होने के कारण नामांतरकरण दर्ज हुआ था अन्य तथ्य कतई अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 10 अस्वीकार है। आवंटित भूमि हमेशा से काबिल काश्त रही थी। प्रार्थना पत्र का मद नं. 11 अस्वीकार है। राज्य सरकार द्वारा आवंटन हेतु जारी की गई अधिसूचना की पालना में जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने जिले के समस्त तहसीलदारो को आवंटन किये जाने वाले खसरा नम्बरों की किस्म चरागाह से सिवायचक में तब्दील करने का आदेश दिनांक 14.10.1975 को जारी किया था इसलिये प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये जांच से संबंधित आरोप निराधार होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र का मद सं. 12 जिस तरह से तहरीर किया है अस्वीकार है विपक्षी सं. 5 ने विपक्षी सं. 1 लगायत 4 का विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा देखकर व उचित प्रतिफल की राशि अदा करके ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कृषि भूमि खरीद की गई थी, विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी सं. 5 के नाम का इन्द्राज होने के साथ–साथ भौतिक कब्जा काश्त भी मौके पर मौजूद है। प्रार्थना पत्र का मद सं. 13 जिस तरह से वर्णित किया है कतई अस्वीकार है प्रार्थीगण ने बनावटी तथ्य दर्ज किये है एवं प्रार्थना पत्र भी मियाद बाहर अर्थात 42 साल बाद पेश किया है जो प्राथमिक स्टेज पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के मद सं. 14 के बाबत अन्य तथ्य वरवक्त बहस के समय अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन भी किये जावेंगे। प्रार्थना पत्र का मद सं. 15 कानूनी है जबाब का मोहताज नहीं है। **विशेष विवरण–**प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 लगायत 4 से विवादित भूमि को खरीदने में सफल नही हो जाने के कारण प्रार्थीगण ने जातिय रंजिश के कारण दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र असत्य आधारों पर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी सं. 2 जयसिंह ने प्रार्थी सं. 1 हनुमान को धोखे में रखकर एवं गलत तथ्यों के आधार पर व सही तथ्यों को छुपाते हुऐ दुर्भावना से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि सत्यता यह है कि माह अक्टूबर 1975 में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार ग्राम खेडला में कुल 816 बीघा 10 बिस्वा चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तित कर सिवायचक दर्ज किया जाकर भूमिहीन व्यक्तियेां को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई जिसका आवंटन नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.1975 को किया गया था जिस आवंटन प्रक्रिया में समस्त भूमिहीन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए भूमि आवंटित की गई जिसमें से खसरा नम्बर 958 में कुल 6 व्यक्तियों को आवंटन किया गया तथा खसरा नम्बर 993 में प्रार्थी सं. 2 जयसिंह के पिता परसादी एवं चाचा गोकल को व दीगर व्यक्तियों को आवंटन किया गया एवं खसरा नम्बर 974 में प्रार्थी जयसिंह के खास भाई ठण्डी को आवंटन किया गया और प्रार्थी जयसिंह के पिता परसादी की मृत्यु के बाद आवंटन सुदा भूमि खसरा नम्बर 993/1 की विरासत प्रार्थी जयसिंह व उसके अन्य भाईयों के नाम दर्ज हुई है जबकि उक्त आराजी खसरा नम्बर 993 व 974 भी पूर्व में आराजी खसरा नम्बर958 की तरह चारागाह थी जो समान प्रक्रिया के तहत खसरा नम्बर 958 के साथ ही चरागाह के सिवायचक में संपरिवर्तित की जाकर प्रार्थी जयसिंह के पिता परसादी चाचा गोकल एवं भाई ठण्डी को आवंटित की गई। प्रार्थी जयसिंह ने यह प्रार्थना पत्र आम जनता की ओर से सार्वजनिक हित में पेश करना अंकित किया है लेकिन स्वंय के पिता परिवारजन को इसी प्रकार आवंटित भूमि खसरा नम्बर 993 व 974 के आवंटन ों को निरस्त कराने बाबत कोई अभिवचन प्रार्थना पत्र मे नही किये और प्रार्थी जयसिंह शुद्धहस्त से नहीं आया है और स्वयं के एवं चाचा गोकल व भाई ठण्डी के हक में हुए खसरा नम्बर 993 व 974 के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नही किया है जबकि यदि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थीगण का आवंटन अवैध है तो परसादी गोकल व ठण्डी का आवंटन भी अवैध है। इस कारण खसरा नम्बर 993/1 व खसरा नम्बर 993/2 व खसरा नम्बर 974/5 को भी प्रार्थना पत्र में शामिल करने के निर्देश प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है और प्रार्थीगण द्वारा सही तथ्यों को छिपाने एवं शुद्धहस्त से नही आने के कारण खसरा नम्बर 958 के बाबत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी जयसिंह ने प्रार्थी सं.1 हनुमान को भुलावे में रखकर यह प्रार्थना पत्र आम जनता की ओर से पेश कराया है जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी हनुमान ने स्वंय का नाम हजफ कराने हेतु आवेदन पेश किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी जयसिंह ने यह प्रार्थना पत्र अपने निजी हित के लिए झूठे तथ्यों पर पेश किया है। प्रार्थीगणों जिला न्यायाधीश करौली के यहां भी आम जनता खेडला की हैसियत से फर्जी हस्ताक्षर करवाकर दीवानी दावा सं. 01/18 उनवानी आमजनता खेडला बनाम ठण्डीराम वगैरह का पेश किया था उक्त

प्रकरण के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 31.07.2018 को हो गया था प्रमाणित प्रति जबाव के साथ संलग्न है विशेष तथ्य यह भी है कि वादी बाबू खान घनश्याम मीना हनुमान मीना ने दिनांक 29.01.2018 को लिखित में प्रार्थना पत्र पेश करके वाद पत्र में से नाम हजफ करवा लिया था प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति संलग्न है। विवादित आवंटित भूमि खसरा नम्बर 958/1 रकबा 5 बीघा पर आवंटी का निरंतर कब्जा काश्त होने के कारण जरिये नामांतरकरण संख्या 698 दिनांक 23.06.89 के द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी का अमल किया गया था उक्त इन्द्राज सम्वत 2044 से सम्वत 2047 में दर्ज है। जमाबंदी की फोटो प्रति संलग्न है उक्त भूमि पर खातेदारी प्राप्त हुए भी 29 साल से भी अधिक समय हो जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में चलने योग्य नहीं है इस बाबत न्यायिक दृष्टांत अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जा रहे है जिनका विवरण इस प्रकार से है–आर आर डी 1992 .... 266, आर आर डी 1992 पार्ट 127, आर आर डी 1993 पार्ट 800, आर आर टी 2006–2007 सप्ली.122, आर आर टी 2006 पार्ट 2–1138, आर आर टी 2007 पार्ट प्रथम 18, आर आर टी 2007 पार्ट 2–1240, आर आर टी 2008 पार्ट प्रथम 610, आर आर टी 2009 पार्ट प्रथम 124, आर आर ए कोटा हरनारायण बनाम रामस्वरूप अपील संख्या 245/79, आर आर ए कोटा उनवानी हजारी बनाम अपर जिलाधीश अपील संख्या 145/82 निर्णय दिनांक 18.12.1984, आर आर ए सवाई माधोपुर अपील संख्या 111/2001 आम जनता रामसिंहपुरा बनाम प्रहलाद निर्णय दिनांक 05.09.2001। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी संख्या 1 हनुमान द्वारा अपना नाम हजफ करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रार्थी हनुमान का नाम हजफ किया गया एवं प्रार्थी रामलखन द्वारा प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का आवेदन बाबत् प्रार्थी पक्षकार बनने का आवेदन पेश करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी पक्षकार बनाया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 958 रकबा 30 बीघा 17 बिस्वा किस्म चारागाह स्थित ग्राम खेडला तहसील सपोटरा पब्लिक हित की भूमि है जो मवेशी (पशुओं) के चराव के लिये है। कृषि उपयोग आवंटन नियम 1970 एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि का किसी व्यक्ति विशेष के हक में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है ना ही किसी व्यक्ति विशेष को उक्त भूमि का आवंटन कृषि उपयोग के लिये नही किया जा सकता है। उपजिला कलक्टर करौली/आवंटन अधिकारी के लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के तहत आवेदन प्राप्त करने का और आवंटन किये जाने का विधिक अधिकार नहीं है। आवंटन दिनांक 21.10.1975 वहक रामवतार पुत्र कजोडया जाति खाती ग्राम खेडला तहसील सपोटरा जिला करौली पूर्णतयाः विधि विरुद्ध, धोखापूर्ण है। इस आवंटन में आवेदन में एवं रिपोर्ट पटवारी में एवं सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई कार्यवाही में एवं आवंटन आदेश सब डिवीजनल करौली में भूमि की किस्म को छिपाया गया है क्योंकि आवेदक एवं आवंटन सलाहकार समिति सदस्य व आवंटन अधिकारी यह जानते थे कि चारागाह (गोचर) भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 958 का वर्णन नही किया गया है एवं रामवतार ने अपने आवंटन में आवंटन चाहे जाने वाली भूमि का विवरण नहीं दिया है। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति ने किस आधार पर खसरा नंबर 958 को आवंटन किये जाने की सिफारिश की गई है, नहीं बताया है। उदघोषणा के संबंध में आवेदन में विवरण नहीं है। आवंटित भूमि का नक्शाशीट में तरमीम नहीं किया हुआ है। आवंटी रामवतार का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थीगण नंबर 1 ता 4 उसके भाई है और रामवतार के स्वर्गवासी हो जाने के बाद दिनांक 20.11.2017 के दिवस अप्रार्थीगण नंबर 1

लगायत 4 ने अपने हक में इन्द्राज नामांतरकरण संख्या 1778 के जरिये करा लिया है जबकि उक्त भूमि को रामवतार ने कभी काश्त नही किया है एवं अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 4 ने कभी काश्त नहीं किया है नाही उनके द्वारा काश्त करने का प्रश्न है। आवंटन के प्रथम व द्वितीय वर्ष में आवंटन बताई गई भूमि काश्त नहीं की गई है और वर्तमान में भी काश्त नहीं हो रही है और पडत दर्ज है। इस प्रकार आवंटन नियमों का पालन नहीं होने से ऐसा आवंटन 21.10.1975 वहक रामवतार अपास्त किये जाने योग्य है। उपजिला कलक्टर करौली को चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन करने का विधिक अधिकार नहीं है एवं आवंटन करने से पूर्व इस भूमि के संबंध में कोई जांच पटवारी द्वारा आवंटन अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। अवैध आवंटन के आधार पर रामवतार के स्वर्गवास होने के बाद अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 4 ने अपने हक में जमाबंदी में इन्द्राज कराकर पशुचराव की भूमि को जनहित की भूमि को अप्रार्थी नंबर 5 को बिल ऐवज 5,00,000/—रूपयें में दिनांक 21.11.2017 के दिवस बेचानकर वयनामा पंजीयन करा दिया है। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 5 यह भली भांति जानते हैं कि उक्त भूमि चारागाह भूमि है। ग्राम वासीयान के मवेशी चराव की भूमि है। अप्रार्थीगण ने जनहित की भूमि को हस्तांतरण कराकर धनराशि हडप ली है और जनहित की भूमि हडप की है। जो अप्रार्थीगण की छलपूर्वक कार्यवाही है। प्रार्थीगण को इस भूमि के वयनामा होने दिनांक 22.11.2017 के दिवस जानकारी ग्राम खेडला में ठण्डीराम द्वारा यह कहने पर कि यह भूमि मैने दिनांक 21.11.2017 को खरीद ली है तुम ग्रामवासीयान को मवेशी चराव नहीं करने दूंगा, तब हुई है। इससे पूर्व जानकारी नहीं होने के कारण आवंटन दिनांक से 21.11.2017 तक की अवधि कण्डौन करने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि विवादित खसरा नंबर 958 रकबा 30 बीघा 17 बिस्वा किस्म चरागाह जमाबंदी सम्वत् 2030 से सम्वत 2033 में दर्ज होना स्वीकार है, लेकिन उक्त भूमि राज्य सरकार के आदेश व अधिसूचना दिनांक 14.10.1975 के आधार पर किस्म चरागाह से सिवायचक में परिवर्तन की जाकर भूमिहीन व्यक्तियें को आवंटित हुई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आवंटन अधिनियम 1975 में ग्राम खेडला तहसील सपोटरा में पशुओं की उपलब्धता का निर्धारण करने के पश्चात् ही चरागाह से किस्म सिवायचक तब्दील की गई थी। विवादित भूमि के आवंटन किये जाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना व राज्य सरकार के प्राप्त दिशा निर्देशों की पालना में ही दिनांक 21.10.1975 को रामावतार पुत्र कजोडया खाती को विधिक प्रक्रिया पूर्ण करके ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था, जिसमें किसी तरह की विधिक त्रुटि नहीं है। राजस्व ग्राम खेडला में चरागाह की कुल भूमि 816 बीघा 10 बिस्वा होने के कारण किस्म परिवर्तन की जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.10.1975 को 100—150 भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन की गई थी जिसमें किसी तरह की अवैधानिकता नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश में आवंटित भूमि की किस्म बारानी—3 दर्ज है। आवंटन फार्म में खसरा नम्बर इसलिये दर्ज नहीं किये थे कि आवंटन योग्य काफी भूमि ग्राम खेडला में उपलब्ध थी इसलिये आवंटी रामावतार को खसरा नम्बर 958/1 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। वरवक्त आवंटन अभियान में ट्रेसशीट में तरमीम किये जाने का कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि तरमीम सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में सक्षम अधिकारी एस.डी.ओ. सपोटरा द्वारा मौके पर विवाद की व मेडबंदी की समस्या होने पर की जाती है लेकिन मौके पर कभी कब्जे बाबत विवाद भी नही हुआ। आवंटन विधिक प्रक्रिया व राज्य सरकार द्वारा प्रदत विशेष अधिकारों के अन्तर्गत ही विवादित भूमि आवंटन की गई थी एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने के पश्चात् प्राथमिक स्टेज पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का खेडला का निवासी होना स्वीकार है। प्रार्थीगण ने रंजिश के कारण विपक्षी सं. 5 द्वारा विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के

आधार पर दिनांक 21.11.2017 को क्रय कर लिये जाने के पश्चात् दिनांक 15.12.2017 को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दुर्भावना से प्रेरित होकर पेश किया है जिससे नाममात्र की सत्यता नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 मृतक रामावतार के विधिक वारिसान होने के कारण नामांतरकरण दर्ज हुआ था जो कानूनन सही है। आवंटित भूमि हमेशा से काबिल काश्त रही थी। राज्य सरकार द्वारा आवंटन हेतु जारी की गई अधिसूचना की पालना में जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने जिले के समस्त तहसीलदारो को आवंटन किये जाने वाले खसरा नम्बरों की किस्म चरागाह से सिवायचक में तब्दील करने का आदेश दिनांक 14.10. 1975 को जारी किया था इसलिये प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये जांच से संबंधित आरोप निराधार होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी सं. 5 ने विपक्षी सं. 1 लगायत 4 का विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा देखकर व उचित प्रतिफल की राशि अदा करके ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कृषि भूमि खरीद की गई थी, विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी सं. 5 के नाम का इन्द्राज होने के साथ–साथ भौतिक कब्जा काश्त भी मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण ने बनावटी तथ्य दर्ज किये है एवं प्रार्थना पत्र भी मियाद बाहर अर्थात 42 साल बाद पेश किया है जो प्राथमिक स्टेज पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 लगायत 4 से विवादित भूमि को खरीदने में सफल नही हो जाने के कारण प्रार्थीगण ने जातिय रंजिश के कारण दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी सं. 2 जयसिंह ने प्रार्थी सं. 1 हनुमान को धोखे में रखकर एवं गलत तथ्यों के आधार पर व सही तथ्यों को छुपाते हुऐ दुर्भावना से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि सत्यता यह है कि माह अक्टूबर 1975 में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार ग्राम खेडला में कुल 816 बीघा 10 बिस्वा चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तित कर सिवायचक दर्ज किया जाकर भूमिहीन व्यक्तियें को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई जिसका आवंटन नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.1975 को किया गया था जिस आवंटन प्रक्रिया में समस्त भूमिहीन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए भूमि आवंटित की गई जिसमें से खसरा नम्बर 958 में कुल 6 व्यक्तियों को आवंटन किया गया तथा खसरा नम्बर 993 में प्रार्थी सं. 2 जयसिंह के पिता परसादी एवं चाचा गोकल को व दीगर व्यक्तियों को आवंटन किया गया एवं खसरा नम्बर 974 में प्रार्थी जयसिंह के खास भाई ठण्डी को आवंटन किया गया और प्रार्थी जयसिंह के पिता परसादी की मृत्यु के बाद आवंटनशुदा भूमि खसरा नम्बर 993/1 की विरासत प्रार्थी जयसिंह व उसके अन्य भाईयों के नाम दर्ज हुई है जबकि उक्त आराजी खसरा नम्बर 993 व 974 भी पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 958 की तरह चारागाह थी जो समान प्रक्रिया के तहत खसरा नम्बर 958 के साथ ही चरागाह के सिवायचक में संपरिवर्तित की जाकर प्रार्थी जयसिंह के पिता परसादी चाचा गोकल एवं भाई ठण्डी को आवंटित की गई। प्रार्थी जयसिंह ने यह प्रार्थना पत्र आम जनता की ओर से सार्वजनिक हित में पेश करना अंकित किया है लेकिन स्वंय के पिता परिवारजन को इसी प्रकार आवंटित भूमि खसरा नम्बर 993 व 974 के आवंटनों को निरस्त कराने बाबत कोई अभिवचन प्रार्थना पत्र मे नही किये और प्रार्थी जयसिंह शुद्धहस्त से नहीं आया है और स्वयं के एवं चाचा गोकल व भाई ठण्डी के हक में हुए खसरा नम्बर 993 व 974 के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नही किया है जबकि यदि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थीगण का आवंटन अवैध है तो परसादी गोकल व ठण्डी का आवंटन भी अवैध है। इस कारण खसरा नम्बर 993/1 व खसरा नम्बर 993/2 व खसरा नम्बर 974/5 को भी प्रार्थना पत्र में शामिल करने के निर्देश प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है और प्रार्थीगण द्वारा सही तथ्यों को छिपाने एवं शुद्धहस्त से नहीं आने के कारण खसरा नम्बर 958 के बाबत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी जयसिंह ने प्रार्थी सं.1 हनुमान को भुलावे में रखकर यह प्रार्थना पत्र आम जनता की ओर से पेश कराया है जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी हनुमान ने स्वंय का नाम हजफ कराने

हेतु आवेदन पेश किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी जयसिंह ने यह प्रार्थना पत्र अपने निजी हित के लिए झूठे तथ्यों पर पेश किया है। प्रार्थीगणों द्वारा जिला न्यायाधीश करौली के यहां भी आम जनता खेडला की हैसियत से फर्जी हस्ताक्षर करवाकर दीवानी दावा सं. 01/18 उनवानी आमजनता खेडला बनाम ठण्डीराम वगैरह का पेश किया था उक्त प्रकरण के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 31.07.2018 को हो गया था। वादी बाबू खान घनश्याम मीना हनुमान मीना ने दिनांक 29.01.2018 को लिखित में प्रार्थना पत्र पेश करके वाद पत्र में से नाम हजफ करवा लिया था। विवादित आवंटित भूमि खसरा नम्बर 958/1 रकबा 5 बीघा पर आवंटी का निरंतर कब्जा काश्त होने के कारण जरिये नामांतरकरण संख्या 698 दिनांक 23.06.89 के द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी का अमल किया गया था उक्त इन्द्राज सम्वत 2044 से सम्वत 2047 में दर्ज है। जमाबंदी की फोटो प्रति संलग्न है उक्त भूमि पर खातेदारी प्राप्त हुए भी 29 साल से भी अधिक समय हो जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में चलने योग्य नहीं है। अंत में निगरानी खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। ग्राम खेड़ला तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं. 958 रकबा 30 बीघा 17 विस्वा एवं अन्य खसरा नंबरान जिनमें 993 व 974 भी सम्मिलित हैं, की भूमि की किस्म राज्य सरकार की अधिसूचना एवं जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश से चारागाह से परिवर्तित करके खसरा नं. 958 में से अप्रार्थीगण 1 ता 4 के भाई व अन्य 5 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है। साथ–साथ खसरा नं. 993 में प्रार्थीगण के पिता परसादी एवं चाचा गोकल को तथा खसरा नं. 974 में प्रार्थीगण के भाई ठण्डी को भी भूमि आवंटित की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण को इस आवंटन की शुरुआत से ही जानकारी होना प्रतीत होता है। इन सभी खसरा नंबरान की किस्म पूर्व में चारागाह थी जिनकी एक समान प्रक्रिया अपनाकर किस्म परिवर्तित कर भूमि आवंटित की गई है परंतु प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता, चाचा व भाई को आवंटित भूमि को निरस्त करवाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है केवल अप्रार्थीगण 1 ता 4 के भाई को हुए आवंटन को ही अवैध बताकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 से भूमि की खरीद नहीं कर पाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र को पेश किये जाने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। चूंकि राज्य सरकार की अधिसूचना एवं जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश द्वारा विवादित भूमि की किस्म परिवर्तित कर विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर भूमि आवंटित की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता विदित नहीं होती है। इसलिए हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः यह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम खेड़ला तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नंबर 958 रकबा 30 बीघा 17 विस्वा में से अप्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता के किये गये आवंटन 5–00 बीघा को यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 13:57:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: